बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ % 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, Email- bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1–44/2023 2370 /पटना, दिनांक 13/10/2026

प्रेषक,

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), दरभंगा।
अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰)
कार्यपालक पदाधिकारी, मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि0, दरभंगा

विषय : **मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि0, दरभंगा के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।**

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा–14 (क) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या–6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने–अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) एवं **अधिसूचना संख्या–1281 दिनांक 22.05.2026** द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर को मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि0, दरभंगा के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) पदनामित किया गया है।

3. **सम्प्रति, प्राधिकार मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि0, दरभंगा का निर्वाचन कराना चाहता है, जिसका निर्वाचन प्रस्ताव संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना से पूर्ण रूप से प्राप्त है।** विदित हो कि उक्त संघ के निर्वाचन हेतु कट–ऑफ तिथि 20.04.2026 निर्धारित करते हुए मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम पत्रांक 1280 दिनांक 22.05.2026 द्वारा संसूचित किया गया था। संघ से सम्बद्ध अधिकांश समितियों का निर्वाचन सम्पन्न नहीं होने के कारण संघ के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित नहीं करने हेतु प्राधिकार में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उक्त के आलोक में विचारोपरांत संघ का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित नहीं किया गया। संघ से सम्बद्ध अधिकांश समितियों का निर्वाचन अब सम्पन्न हो चुका है। इस बीच बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 में नियम 21(म)(ख)(i) के आलोक में 120 दिनों की सीमा समाप्त हो चुकी है। अतः संघं के निर्वाचन हेतु कट–ऑफ तिथि 30.09.2026 पुनः निर्धारित की जाती है। केवल वैसी समिति, जो **दिनांक 30.09.2026** तक संघ की सदस्यता ग्रहण कर चुकी हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्त्तें पूरी करते हैं, मतदाता सूची में सम्मिलित की जा सकेंगी।

4. **मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि0, दरभंगा** की उपविधियों में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई समिति/संघ का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना संबंधित संघ से सम्पर्क स्थापित कर उसकी उपविधियाँ की एक प्रति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को तुरंत उपलब्ध करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी

(स0स0), दरभंगा सदर अपने स्तर से भी संबंधित संघ की उपविधियाँ स्थानीय स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

5. प्रारूप मतदाता सूची संलग्न प्रपत्र–1(अनुलग्नक–1) में तैयार की जाएगी। कट–ऑफ तिथि तक संघ से सम्बद्ध सभी समितियों का नाम उक्त प्रपत्र में अंकित किया जाएगा। जिन समितियों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जा चुका है, उनके मामले में निर्वाचन की तिथि का उल्लेख प्रपत्र–1 में कॉलम–6 में की जायेगी एवं स्तम्भ–3 में अध्यक्ष का नाम लिखा जायेगा। जो समितियॉ नव निबंधित हैं, उनके निबंधन की तिथि का उल्लेख स्तम्भ–6 में तथा अध्यक्ष का नाम स्तम्भ–3 में लिखा जायेगा।

कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जहॉ सम्बद्ध समितियों की चुनाव प्रक्रिया अभी जारी है। वैसे मामलों में मतदाता सूची के स्तम्भ–3 को खाली रखा जाएगा। वैसी समितियों का चुनाव सम्पन्न हो जाने के पश्चात् संबंधित निर्वाचित अध्यक्ष फोटोयुक्त निर्वाचन प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची के स्तम्भ–3 में निर्वाचित अध्यक्ष का नाम अंकित कर दिया जायेगा। मतदान के दिन भी निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आधार पर नव निर्वाचित अध्यक्ष मतदान कर सकेंगे। यदि यह कार्य संघ के नामांकन की निर्धारित समयसीमा में हो जाता है, तो वे नामांकन भी कर सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:–

(i) उक्त संघ द्वारा <u>दिनांक 16.10.2026</u> को तीन प्रतियों में प्रारूप मतदाता सूची संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना को उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रारूप मतदाता सूची प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 के आलोक में ''समेकित सूची'' होगी, जिसमें संघ की विशेष बैठक के बाद निर्वाचन प्रस्ताव के साथ समर्पित ''प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची'' तथा विशेष बैठक के बाद एवं प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट–ऑफ तिथि के पूर्व ''नये बनाये गये सदस्यों एवं हटाये गये सदस्यों की सूची'' भी शामिल रहेगी। यह समेकित सूची संलग्न प्रपत्र–1 में तैयार की जाएगी, जो संघ के अध्यक्ष/ प्रबंधक/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जायेगा। <u>उक्त संघ की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है।</u> अतः उस सूची से किसी समिति का नाम हटाया गया हो, तो संघ को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत तथा किस प्रक्रिया को अपनाकर सदस्यता समाप्त की गयी है। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो, तो उसका उल्लेख संलग्न प्रपत्र–1 के स्तम्भ–5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। संघ का यह भी दायित्व होगा कि कट–ऑफ तिथि तक वैध रूप से सदस्य बनाये गये सभी समितियों का नाम प्रपत्र एम–1 (प्रारूप मतदाता सूची) में अवश्य सम्मिलित रहे। इसके अतिरिक्त प्रपत्र–1A में प्रबंधकारिणी की विशेष बैठक के बाद और प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट–ऑफ तिथि पूर्व अर्थात् बीच की अवधि में नये बनाये गये सदस्यों एवं कारण सहित हटाये गये सदस्यों की सूची भी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना को उपलब्ध कराई जाएगी। **प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय संघ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो।**

(ii) प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 की कंडिका– 2 (ii) (क) के अनुपालन में संघ की विशेष बैठक के बाद समर्पित प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची की जांच संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा पूर्व में कर ली गई होगी। अतः इस समय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा विशेष बैठक के बाद एवं

कट–ऑफ तिथि के बीच की अवधि में तैयार सूची प्रपत्र–1A से "समेकित सूची" की जांच प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 की कंडिका 2 (ii) (ख) (ग) के आलोक में की जायेगी। संघ द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जाँच संबंधित संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना प्राप्त अभिलेख एवं संघ के अभिलेख, यथा– सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची **दिनांक 22.10.2026** तक संबंधित संघ के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा उक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जाएगा। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही हों तथा कट–ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों के नाम सूची में शामिल रहें। संघ की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अतः संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी समिति/संघ का नाम हटाया गया हो, तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपना कर ही सदस्यता समाप्त की गयी हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम संघ ने हटा दिया है और संघ द्वारा कंडिका– 5 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो, तो संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना उसकी मान्यता नहीं देंगे और तद्नुसार सूची में सुधार करेंगे। **यह सुनिश्चित करना संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना का दायित्व होगा कि प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो।** संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना **प्रपत्र–एम 2** में निर्गत की जायेगी। **प्रपत्र एम–2 के सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर भी किया जाना है। इससे संबंधित निर्देश परिशिष्ट–1 में संलग्न है।**

7. **मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि0, दरभंगा** की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :–

क्र0	कार्यक्रम	अवधि
1	संघ द्वारा प्रपत्र–1 में सदस्यता सूची संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना को उपलब्ध कराना	16.10.2026
2	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	22.10.2026
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन	23.10.2026
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित है	23.10.2026
5	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने एवं निष्पादन की अवधि	23.10.2026 से 02.11.2026 तक
6	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	04.11.2026

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :–

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) संबंधित संघ के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय के सूचना पट पर।

(घ) प्राधिकार के वेबसाईट पर (इससे संबंधित निदेश संलग्न परिशिष्ट–1 में दिया गया है।)

(ड) समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भेजा जायेगा।

उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा।

9. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा **प्रपत्र– एम 3 में तथा मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र– एम 4** में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं समितियों के प्रतिनिधि द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित संघ के सदस्य हैं। **बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।** सादे कागज पर दी गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।

10. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी संघ के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

11. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति–पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम संघ ने हटा दिया हो, तो संघ को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के किन प्रावधानों के तहत उक्त कार्रवाई की गई है। निर्वाचन पदाधिकारी संघ के अभिलेखों का अवलोकन कर इस पर निर्णय लेगा। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों, तो वैसे समितियों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क एवं शेयर राशि जमा करने का साक्ष्य अथवा पूर्व में अपने सदस्य होने का ठोस साक्ष्य अथवा शेयर प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित संघ से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

12. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र–एम 5** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन–सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप **प्रपत्र–एम 6** पर देखा जा सकता है।

13. संबंधित सहकारी संघ की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन अपने नाम एवं पदनाम सहित हस्ताक्षर किया जाएगा, जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़–छाड़ नहीं की गई है। सचेत

किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो। किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

14. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा **प्रपत्र–1** में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे एवं एक प्रति मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

15. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति अनुमंडल मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति सहकारी संघ के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना को उपलब्ध करा दी जायगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 2/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

16. **दिनांक 04.11.2026** के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी विनिर्दिष्ट स्थलों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकशन की सूचना प्रपत्र– एम 6 में निर्गत किया जाएगा। तत्पश्चात् मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर ''हॉ'' अथवा ''नहीं'' में किया जाएगा। **निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट किया जाता है कि वेबसाईट पर अंतिम प्रकाशन के सूचना की प्रविष्टि होने के पश्चात् ही प्राधिकार द्वारा संबंधित संघ का निर्वाचन कराया जायेगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना उसी दिन प्रपत्र– एम 7 में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना को उपलब्ध करायी जाएगी। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना द्वारा उक्त सूचना को प्रपत्र– एम 7 में ही प्राधिकार को ई–मेल के माध्यम से **दिनांक 05.11.2026** तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

17. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित संघ को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
13.10.26
(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2370 /पटना,दिनांक 13/10/2026

प्रतिलिपि : संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने स्तर से भी उपर्युक्त निदेश की जानकारी संबंधित संघ को देगें तथा संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे कट–ऑफ तिथि के आधार पर संघ से निर्धारित तिथि को संलग्न प्रपत्र–1 में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।

13.10.26
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2370 /पटना, दिनांक 13/10/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना/ संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, दरभंगा प्रमंडल/जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.10.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2370 /पटना,दिनांक 13/10/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.10.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2370 /पटना,दिनांक 13/10/2026

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.10.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2370 /पटना,दिनांक 13/10/2026

प्रतिलिपिः प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13.10.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2370 /पटना,दिनांक 13/10/2026

प्रतिलिपिः MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

13.10.26

संयुक्त सचिव

परिशिष्ट–1

मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि/ अपलोड से संबंधित निर्देश।

दिनांक 23.10.2026 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना से **प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अन्य विहित स्थानों के अलावे** प्राधिकार के वेबसाईट पर प्रारूप मतदाता सूची को स्कैन करके PDF File में अपलोड कर किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

i) प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in का लॉगिन पेज **open** करेंगे,

ii) ऊपर वर्णित "समितियों/संघों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" टैब पर क्लिक करेंगे,

iii) मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना (M-2) पर क्लिक करेंगे,

iv) टेबल में उपलब्ध विभिन्न पत्र संख्या के सामने "view" बटन पर क्लिक करेंगे,

v) **क्लिक करने के उपरांत नीचे खुले दूसरे टेबल में "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" की सूचना देते हुए प्रारूप मतदाता सूची के scanned pdf फाइल को अपलोड करेंगे,**

vi) Scanned pdf फाइल अपलोड करने के उपरांत यह आश्वस्त हो लें कि सही फाइल को अपलोड किया गया है, तत्पश्चात् Entry करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मोबाईल नम्बर देने के बाद Submit बटन पर क्लिक करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची स्कैन करने से संबंधी निर्देश :–

i) प्रारूप मतदाता सूची को ब्लैक एंड व्हाईट मोड में स्कैन करना है (Grey अथवा Colour में नहीं),

ii) Resolution 200 से 300 dpi में रखना है,

iii) Scanned फाईल को PDF फाईल के रूप में save करना है,

iv) pdf फाईल साईज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए,

v) pdf फाईल साईज 30 MB से ज्यादा होने की स्थिति में compressed करने पर सूची अच्छे से पठनीय होना चाहिए, फाईल quality खराब नहीं होना चाहिए।

'कम्प्यूटर स्कैनर से स्कैन करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। स्कैनर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मोबाईल से स्कैन करते वक्त भी उक्त

निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

प्रारूप मतदाता सूची का pdf फाईल अपलोड हो जाने के बाद यह वेबसाइट के Home page पर उपलब्ध Public View **"समितियों/संघों से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची देखने के लिए क्लिक करें"** पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने–अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों/संघों की मतदाता सूची का **प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना** प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) **दिनांक** 23.10.2026 को निम्नरूप से किया जायेगा :–

i) होमपेज में ऊपर **"समितियों/संघों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **"प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं"** में "हाँ" अथवा "नहीं" का चयन कर सबमिट करेंगे।

3. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना **दिनांक 04.11.2026** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :–

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **"समितियों/संघों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों/संघों के नाम के सामने उल्लिखित **"अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं"** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन/ अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने–अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर **"मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं"** पर क्लिक कर देख सकेंगे।

.....0.....